FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (फलोदी)

भंवरलाल पुत्र दलूराम वगैरा. **बनाम** तहसीलदार बाप वगैरा.

मुकदमा 131,136 आर.एल.आर **मु.नं.** 264/2024 **सन्**

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम किशनेरी जेती पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नंबर 430/236 रकबा 4.4515 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428/236 रकबा 4.7955 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236/1 रकबा 11.3312 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236/6 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 2 के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी आगामी तारीख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली दिनांक 22.11.2024 को पेश हो। 20/10/24 सहायक कलक्टर बाप (फलोदी) सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)	
24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उप०। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र वास्ते मूल प्रार्थना-पत्र विड्रॉ किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया कि उक्त प्रा० पत्र में हमारा आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रा० पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः मूल प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को विड्रॉल किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थी की इस्तदुआ पर मूल प्रा० पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29.10.2024 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नियमित आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया 22/11/24 (सुखराम पिण्डेल) R.A.S.	भं० लि० भवरलाल